

# METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा 01 वर्ष के कठोर कारावास तथा 15,000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

दिनांक 22.05.2024 की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त के कब्जे से स्मैक लेकर जाना व पुलिस को देखकर भागने की तहरीरी सूचना पर मु०अ०सं० 156/24 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मोहनगंज पर पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय रायबरेली में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 17.05.2025 को माननीय न्यायालय एएसजे-7 एनडीपीएस कोर्ट रायबरेली द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अभियुक्तों को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को 01 वर्ष का कठोर कारावास।
- अभियुक्त को 15,000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 20 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- राज कुमार उर्फ राजू पुत्र स्व० जग प्रसाद नि० पूरे राजा मजरे तिलोई थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

एडीजीसी श्री राम  
प्रकाश तिवारी

पैरोकार हे०का०  
राजकुमार सिंह



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल  
अमेठी